भारत सरकार
योजना मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2418
दिनांक 13 फरवरी, 2014 को उत्तर देने के लिए

सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता

2418. श्री पी. राजीव:
क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी कानून के अनुसार राजसहायता और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है;

(ख) आधार के नामांकन के लिए विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण को कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) क्या विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण का कोई कार्य आउटसोर्स किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री -- संसदीय कार्य और योजना
(श्री राजीव शुक्ल)

(क) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अधिदेश में निवासियों को आधार संख्याओं का जारी करना शामिल है, जिसके लिए नामांकन स्वैच्छिक है। राजसहायता और समाज कल्याण के हित लाभों को प्रदान करने के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए आधार का उपयोग और अनुप्रयोग करना संबंधित स्कीमों का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी/विभाग के प्रभारी के कार्यक्षेत्र के अंदर आता है।

(ख) 60 करोड़ निवासियों के नामांकन के लिए पंजीयकों को सहायता प्रदान करने के लिए अभी तक व्यय संबंधी वित्त समिति द्वारा 2600 करोड़ रु. की कुल धनराशि मंजूर की गई है।

(ग) निवासियों का नामांकन, प्रौद्योगिकी सेवाएँ, प्रचालकों और पर्यवेक्षकों की जांच और प्रमाणन और प्रशिक्षण की पाठ्य सामग्री का विकास, संपर्क केन्द्र चलाना, आधार पत्रों की छपाई और मीडिया, प्रचार और संबंधित कार्यकलाप संबंधी कार्यों का आउटसोर्स किया गया है।

***